

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 12/09/2026

विषय : राज्य में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु विशेष अभियान "सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान" के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-530 दिनांक 11.09.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से राज्य में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु विशेष अभियान "सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान" दिनांक 17.09.2026 से 31.03.2027 तक संचालित करने हेतु निदेशित किया गया है।

इस हेतु दिनांक 17.09.2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उक्त ग्राम सभा में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करते हुए अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी। योजनाओं के चयन की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी :-

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के अनुसार लगभग 10 (दस) योजनाओं का चयन किया जाएगा। चयन में स्वास्थ्य उप केन्द्रों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ/उन्नयन/नव निर्माण करने संबंधित कार्यों का अनिवार्य समावेश सुनिश्चित किया जाएगा।
2. नवनिर्माण से संबंधित किसी भी योजना को चिह्नित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि संबंधित भूमि उपलब्ध है एवं उस पर कोई विवाद नहीं है। भूमि उपलब्धता का प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. योजनाओं/कार्यों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चयनित योजनाओं का ग्राम सभा से अनुमोदन दिनांक 17 सितम्बर, 2026 को आयोजित ग्राम सभा की विशेष बैठक में प्राप्त किया जायेगा।
4. विभागीय पत्रांक-13045 दिनांक 11.09.2026 द्वारा अभियान के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण एवं मरम्मत हेतु दिशा-निर्देश निर्गत है। निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत भवन का रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य, ग्रामीण बसावटों में छुटे हुए प्रमुख गली-नाली का निर्माण एवं

05 वर्ष से पूर्व निर्मित गली-नाली से संबंधित योजनाओं इत्यादि का प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 17.09.2026 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में चयन करते हुए इसे GPDP में शामिल किया जायेगा।

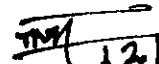
5. सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के अंतर्गत चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया पोर्टलों के आधार पर संधारित की जायेगी, जिन्हें क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संधारित किया जायेगा। इसके बारे में दिशा-निदेश संबंधित विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कायाकल्प नामक पोर्टल Kayakalp-brlps-in विकसित किया गया है।

6. पंचायती राज विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं को उक्त पोर्टल के अतिरिक्त GPDP में भी प्रविष्ट किया जायेगा।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि दिनांक 17 सितम्बर, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करते हुए उपर्युक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

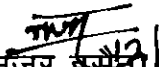
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन) 12/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-43/2024/13074/पं०रा० पटना, दिनांक 12/09/2026
प्रतिलिपि:-सभी उप विकास अयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् /सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 12/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-43/2024/13074/पं०रा० पटना, दिनांक 12/09/2026
प्रतिलिपि:-श्री शरद कुमार, SPM(M&E), बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उक्त निर्धारित तिथि को आयोजित विशेष ग्राम सभा हेतु आवश्यक तैयारियां करते हुए उक्त दिवस के सभी विशेष ग्राम सभाओं का समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(नजर हुसैन) 12/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-43/2024/13074/पं०रा० पटना, दिनांक 12/09/2026
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 12/9/26

विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक: 530

दिनांक: 11-09-26

सं०सं०: BI-558/27/2026-SEC_01-BRDS

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

समी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: राज्य में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु विशेष अभियान "सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान" के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त संबंध में निदेशानुसार अवगत कराना है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जिसे "सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान" नामित किया गया है। यह अभियान 17 सितम्बर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक संचालित होगा। इस अभियान के प्रमुख अवयव निम्न प्रकार हैं :-

(क) पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत। यह कार्य 30 नवंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है।

(ख) नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का निर्माण। इसे 31 मार्च, 2027 पूरा किया जाएगा।

1. इस अभियान के अंतर्गत कुछ कार्य विभागीय निधि से कराये जाएंगे जिसके बारे में संबंधित विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश दिया जाएगा। शेष कार्य निम्न वित्तीय स्रोतों के माध्यम से किया जायेगा।

(क) 16वें वित्त आयोग की अनुदान राशि।

(ख) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से उपलब्ध राशि।

(ग) VB-G RAM G के अंतर्गत उपलब्ध राशि।

(घ) केंद्र एवं राज्य सरकार की वर्तमान योजनाएँ, यथा स्वास्थ्य क्षेत्र में NHM एवं अन्य विभागों की समरूप योजनाओं के तहत प्राप्त राशि।

(ङ) नगर निकायों में आन्तरिक संसाधन के माध्यम से।

QW

2. जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिव के पत्रांक 6183748, दिनांक 04/09/2026 के द्वारा सूचित भी किया गया है सभी जिला में पंचायतवार 10 योजनाओं की प्राथमिकता सूची बना ली जाएगी और उसे किस मद से किया जाना है उसे भी चिन्हित कर लिया जाएगा।
3. इस अभियान के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया पोर्टलों के आधार पर संधारित की जाएगी जिन्हें क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संधारित किया जाएगा। इसके बारे में दिशा-निर्देश संबंधित विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **कायाकल्प** नामक एक नया पोर्टल **kayakalp-brlps-in** विकसित किया गया है।
4. राज्य स्तर पर निम्नलिखित विभागों/क्षेत्रों में समेकित रूप से इस अभियान के अन्तर्गत कार्य संपन्न किए जाएँगे।

विभागवार प्रस्तावित गतिविधियाँ

विभाग/क्षेत्र	पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत	नई आधारभूत संरचनाओं/परिसंपत्तियों का निर्माण
1. शिक्षा विभाग	● विद्यालय भवनों एवं वर्ग-कक्षों की मरम्मत एवं रंग-रोगन। ● किचन शेड की मरम्मत एवं रख-रखाव। ● शौचालयों की मिशन मोड में साफ-सफाई। ● पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील किया जाना।	● अतिरिक्त वर्ग-कक्षों का निर्माण। ● भवनविहीन विद्यालयों में भवन का निर्माण। ● आवश्यकतानुसार नए शौचालयों का निर्माण। ● आवश्यकतानुसार चहारदीवारी का निर्माण।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	● विद्यालय परिसंपत्तियों के मरम्मत संबंधित कार्य Composit School Grant एवं आवश्यकतानुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विकास कोष की राशि का उपयोग कर क्रियान्वित किया जाएगा। ● नई आधारभूत संरचनाओं/परिसंपत्तियों का निर्माण संबंधित योजना प्रावधान एवं विकसित भारत - जी राम जी योजना, के अभिसरण से क्रियान्वित किया जाएगा।	
2. स्वास्थ्य विभाग	● वर्तमान स्वास्थ्य संस्थानों की मरम्मत एवं रंग-रोगन/रख-रखाव। ● स्वास्थ्य संस्थानों की साफ-सफाई एवं आवश्यक रख-रखाव।	● आवश्यकता के अनुसार नए स्वास्थ्य उप-केंद्र भवनों का निर्माण। ● मरीजों एवं परिजनों के लिए प्रतीक्षालय/बैठने की व्यवस्था। ● हेल्प डेस्क की स्थापना। ● आवश्यकतानुसार टीवी/सूचना डिस्प्ले की व्यवस्था। ● पेयजल, शौचालय, साइनेज एवं अन्य मरीज-अनुकूल सुविधाओं का विकास।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	● स्वास्थ्य उप केंद्रों के उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत संबंधित कार्य रोगी कल्याण समिति के माध्यम से NHM से प्राप्त राशि से क्रियान्वित किया जाएगा। ● नये स्वास्थ्य उप केंद्र/अतिरिक्त केंद्र, का निर्माण आदि नव निर्माण के कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित योजना प्रावधान एवं विकसित भारत - जी राम जी योजना, के	

✓

	अभिसरण से क्रियान्वित किया जाएगा।	
3.समाज कल्याण विभाग	●वर्तमान आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुरक्षण एवं मरम्मत। ●साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण।	●आवश्यकता वाले स्थानों पर नए आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	●वर्तमान आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधित कार्य पंचायती राज विभाग से प्राप्त निधि से क्रियान्वित किया जाएगा। ●आवश्यकता वाले स्थानों पर नए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण विकसित भारत जी राम जी तथा पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण से क्रियान्वित किया जाएगा।	
4.अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग	●आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत, रख-रखाव, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण। ●शौचालय, पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील करना। ●वर्तमान सामुदायिक भवनों की मरम्मत, रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण।	●आवश्यकता के आधार पर नए सामुदायिक भवनों का निर्माण।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	●संबंधित योजना प्रावधान तथा पंचायती राज विभाग से प्राप्त निधि से क्रियान्वित किया जाएगा। ●आवश्यकता के आधार पर नए सामुदायिक भवनों का निर्माण विकसित भारत जी राम जी तथा पंचायती राज विभाग के अभिसरण से क्रियान्वित किया जाएगा।	
5.ग्रामीण विकास विभाग	●ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान।	
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	●ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा संचालित किया जाएगा।	
6.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)	●वर्तमान पेयजल परिसंपत्तियों का अनुरक्षण एवं नियमित सफाई एवं रख-रखाव। ●पेयजल संबंधी शिकायतों के 24 घंटे के अंदर निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था।	●निर्माणाधीन/अधूरी पेयजल योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूर्ण करना।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	●लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग निधि से क्रियान्वित किया जाएगा।	
7.पंचायती राज विभाग	●ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन एवं सुदृढीकरण। ●छूटे हुए इलाकों में गली-नाली का पक्कीकरण कार्य।	
8. नगर विकास एवं आवास विभाग	●वर्तमान सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रख-रखाव। ●स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का सुदृढीकरण।	●सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यकतानुसार नई परिसंपत्तियों का निर्माण। जैसे- आंगनबाड़ी, विद्यालय इत्यादि। ●छूटे हुए इलाकों में गली-नाली का पक्कीकरण कार्य।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	●नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।	

av

5. योजनाओं के चयन की प्रक्रिया

- i. प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के अनुसार लगभग 10 (दस) योजनाओं का चयन किया जाएगा। चयन में स्वास्थ्य उप केन्द्रों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़/उन्नयन/नव निर्माण करने संबंधित कार्यों का अनिवार्य समावेश सुनिश्चित किया जाए।
- ii. नवनिर्माण से संबंधित किसी भी योजना को चिह्नित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि संबंधित भूमि उपलब्ध है एवं उस पर कोई विवाद नहीं है। भूमि उपलब्धता का प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- iii. योजनाओं/कार्यों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चयनित योजनाओं का ग्राम सभा से अनुमोदन दिनांक **17 सितम्बर, 2026** को आयोजित ग्राम सभा की विशेष बैठक में प्राप्त कर लिया जाय।
- iv. विकसित भारत- जी राम जी योजना से क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को विकसित ग्राम पंचायत योजना (Viksit Gram Panchayat Plan VGPP) में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य वित्तीय स्रोतों से प्रस्तावित योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित किया जायेगा।
- v. विकसित भारत - जी राम जी योजना अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु चिह्नित योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में इस योजना के विहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. क्रियान्वयन

- i. चयनित योजनाओं का प्राक्कलन निर्माण, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित कार्य का निष्पादन समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हेतु चिह्नित योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण किया जाएगा।
- ii. इस अभियान अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के चयन से कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	गतिविधि	समय सीमा
1.	चयनित योजनाओं का ग्राम सभा से अनुमोदन	17 सितम्बर, 2026
2.	चयनित योजनाओं की kayakalp-brlps-in पोर्टल पर प्रविष्टि	24 सितम्बर, 2026 तक
3.	पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत का कार्य।	30 नवंबर, 2026 तक
4.	नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का निर्माण।	31 मार्च, 2027 तक

Q

7. अनुश्रवण

i. योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति का सतत अनुश्रवण प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा।

ii. जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (DDC) तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) नोडल पदाधिकारी होंगे।

iii. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति होगी, जिसमें उप विकास आयुक्त संयोजक होंगे एवं सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी नगर निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य होंगे।

iv. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति रहेगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य होंगे एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग इस समिति के संयोजक होंगे।

अतः अनुरोध है कि सेवा, संकल्प एवं समर्पण अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को अपने स्तर से निदेशित किया जाय।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन
11.9.2026
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक : 530

दिनांक: 11.09.2026

सं०सं०: BI-558/27/2026-SEC_01-BRDS

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव शिक्षा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ पंचायती राज विभाग/ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण/ पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग/ नगर विकास विभाग, बिहार/ विकास आयुक्त बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/09/26
(एच०आर० श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक : 2प/वि०-17-149/2019/13045/पं०रा०

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 11/09/2026

विषय : अभियान के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों के आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण एवं मरम्मत के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा "अभियान" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से मुख्य रूप से पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन, ग्रामीण गली-नाली एवं ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट की आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन कराया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत योजनाओं के सुदृढीकरण, मरम्मत एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु योजनावार निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

1. पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत भवन:-

- (i) वैसे ग्राम पंचायत, जहाँ पंचायत कार्यालय का संचालन पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में हो रहा है, उन भवनों का रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में कराया जायेगा।
- (ii) रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य दोष दायित्व अवधि (DLP) के समाप्त होने के उपरांत किया जायेगा।
- (iii) इस पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली अनुरक्षण मद से किया जायेगा।
- (iv) सभी निर्मित पंचायत सरकार भवनों को अनिवार्य रूप से क्रियाशील कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।



कृ०पू०उ०

2. **ग्रामीण बसावटों में प्रमुख गली-नाली :-**

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों के बसावटों में अवस्थित प्रमुख गली-नाली का निर्माण अबतक नहीं हुआ है तो इसका निर्माण विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ii) वैसे गली-नाली जो पूर्व में निर्मित है एवं निर्माणाधीन अवधि 05 वर्ष से अधिक हो गयी है एवं उसे मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है तो उसकी मरम्मत करायी जाय।
- (iii) इस पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग के मद के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली अनुसूचण मद से किया जायेगा।

3. **ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट :-**

- (i) विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जायेगा।
- (ii) अधिष्ठापन के उपरांत इसे CMS Portal से एकीकृत (Integrate) किया जायेगा।
- (iii) अधिष्ठापित सोलर लाईट को CMS Portal के आधार पर समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत क्रियाशील किया जायेगा।
- (iv) अधिष्ठापित सोलर लाईट में खराबी के उपरांत 24 घंटा के अंदर इसे सही कर क्रियाशील कराया जायेगा।
- (v) विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर संबंधित एजेंसी का Service Centre अधिष्ठापित करते हुए इसका सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।
- (vi) वैसे पोल जिसपर सोलर लाईट अधिष्ठापित है उन पोलों पर संबंधित एजेंसी का दो WhatsApp Number अंकित कराया जाय, ताकि लाईट खराब होने की स्थिति में आमजन एजेंसी से सम्पर्क कर सकें।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए "अभियान" को सफल बनाया जाय।

विश्वस्रभाजन
(मनोज कुमार)
सचिव

लगातार.....

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-149/2019/13045/पं०रा० पटना, दिनांक 11/09/2026
 प्रतिलिपि:-सभी उप विकास अयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद
 /सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
 प्रेषित।


 11/9/26.
 (मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-149/2019/13045/पं०रा० पटना, दिनांक 11/09/2026
 प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 11/9/26.
 (मनोज कुमार)
 सचिव